न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 157/2022

दिनेश कुमार पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रार्थी

ब ना म

1. करण सिंह पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुलाबचन्द पुत्र ताराचन्द जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं. 15 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सुमित कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 12 हनुमानगढ जं।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगराज सिंह भारी —— प्रार्थी
2. श्री शैलेन्द्र नायक ——अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा —— अप्रार्थी सं. 2,4

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 16/10/2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री जगराज सिंह भारी है प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश हो चुका है जिसमे प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण संभावना है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के मानकथेडी बारानी के खाता सं. 155 के खसरा सं. 106 की 2.934 हैक., खसरा सं. 294/109 की 1.113 हैक. कुल 4.047 हैक. खातेदारी व खसरा सं. 312/119 की 1.012 हैक. पु.आ. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–79 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है जो कि सन् 1955 से ही प्रार्थी के पिता श्री हेमराज का कब्जा चला आ रहा था और पिता श्री हेमराज के देहान्त के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा चला आ रहा है और सन् 2019 मे खसरा सं. 106 की 2.934 हैक. व खसरा सं. 294/109 की 1.113 हैक. की खातेदारी प्राप्त हुई। वादग्रस्त समस्त रकबा सूरतगढ़–जाखड़ावाली लिंक रोड़ पर स्थित है और खातेदारी सन्द के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ने वादग्रस्त रकाबा का घरा घरू बंटवारा किया और घरा घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी को ग्राम मानकथेडी बारानी के खसरा सं. 294/109 की 1.113 हैक. व खसरा सं. 106 की 2.9345 हैक. मे से 0.910 हैक. कुल 2.023 हैक. सूरतगढ़–जाखड़ावाली लिंक रोड़ पर प्राप्त हुई तथा खसरा सं. 106 की 2.024 हैक. प्रार्थी की कृषि भूमि के चिपता ही अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त हुई और पुख्ता आवंटन खसरा सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:02 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

312/119 की 1.012 हैक. संयुकत रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पास रख ली और इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 काबिज काश्त हुये। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि सूरतगढ़ – जाखड़ावाली लिंक रोड़ के उत्तर दिशा मे खसरा सं. 106 व इसी रोड के दक्षिण दिशा में खसरा सं. 294/109 व खसरा सं. 312/119 स्थित है। खसरा सं. 294/109 सूरतगढ़ – जाखड़ावाली लिंग रोड़ के दक्षिणी दिशा की तरफ पश्चिम दिशा मे स्थित है तथा इसी के लगता पूर्वी दिशा मे खसरा सं. 312/119 स्थित है जो कि वादग्रस्त रकबा सम्पूर्ण तीनो खसरा मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि सूरतगढ़–जाखड़ावाली लिंक रोड़ पर स्थित है इस अनुसार वर्तमान मे फसल काश्त की हुई है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम से ग्राम मानकथेडी बारानी के खसरा सं. 109 मे 1.808 हैक. कृषि भूमि है जो कि प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि के पिछे की तरफ स्थित है और उसी अनुसार अप्रार्थी सं. 2 अर्सा समय से काबिज काश्त है।

यह कि प्रार्थी ने अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम मानकथेडी बारानी के खसरा सं. 109 की 1.113 हैक. व खसरा सं. 106 की 0.910 हैक. कुल 2.023 हैक. भूमि को सुधार करके कृषि योग्य बनाया है और सिंचाई सुविधा के लिए घग्घर फलड मे से सिंचाई पाईप लाईन लाकर फसल काश्त करता आ रहा है और उक्त खसरा मे ही नक्का है और प्रार्थी ने वर्तमान मे नरमा की फसल काश्त की हुई है। अप्रार्थी सं. 2 जो कि लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने अप्रार्थी सं. 1 को अपने बहकावे मे लेकर प्रार्थी के खसरा सं. 109 की 1.113 हैक. व खसरा सं. 109 की 0.910 हैक. कुल 2.023 हैक. पर कृषि भूमि जो कि सूरतगढ़–जाखड़ावाली लिंक रोड़ पर स्थित भूमि पर जबरन काबिज होकर प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति पहुंचाना चाहते हैं। वादग्रस्त रकबा खसरा मे होने के कारण पुस्तैनी कब्जा अनुसार सन् 1955 से चला आ रहा है और वर्तमान मे घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी काबिज है। वादग्रस्त रकबा जो कि खसरा मे है जिसकी तरमीम भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा ही किया जाना संभव है लेकिन अप्रार्थी सं. 1–2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके खसरा की पैमाईश भू प्रबन्ध विभाग से न करवाकर स्वयं अपने स्तर पर ईंची टेप से आनन फानन मे प्रार्थी की गैर हाजरी मे पैमाईश करके प्रार्थी के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे जबरन काबिज होना की नियत से दिनांक 21.06.2022 को अप्रार्थी सं. 1–2 ने राजस्व पटवारी को लेजाकर प्रार्थी की उपस्थिति मे पैमाईश किये बिना निशानदेही कर रहे थे और प्रार्थी की वर्तमान मे काश्त नरमा की फसल को खुर्द बुर्द करने की फिराक मे थे, इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण का विरोध किया लेकिनअप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ऐलाने धमकी दी है कि वह 2–4 दिनो मे 20–25 व्यक्तियों एवं जेसीबी लाकर तेरी काश्त फसल को बर्वाद करके तुझे तेरे कब्जा से बेदखल कर देंगे । यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुबों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी और न पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा आय का अन्य कोई स्त्रोत नही है। इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का जारी किया जावे कि वादग्रस्त रकबा की भूमि की पैमाईश/तरमीम (सीमा ज्ञान) भू. प्रबंध विभाग द्वारा नही की जाये तब तक प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि के मौका की यथास्थिति बनाये रखने एवं मौका पर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नही करने के आदेश पारित करे । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि सूरतगढ़–जाखड़ावाली लिंक रोड़ पर ग्राम मानकथेडी बारानी के खसरा सं. 109 की 1.113 हैक. व खसरा सं. 106 की 0.910 हैक. कुल 2.023 हैक. के कब्जा के मौका की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखल अंदाजी स्वयं व अन्य व्यक्तियो से करवाने से ममनू व बाज रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिश्ता दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट पत्र जारी किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से शैलेन्द्र नायक अधिवक्ता हाजिर है अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है अप्रार्थी संख्या 1 जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने की हद तक स्वीकार है। जिस तरह से प्रार्थी द्वारा अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि का कब्जा मुताबिक नक्शा दर्शित न करके अर्थात ग्राम मानकथेडी बारानी के विवादित खसरा सं. 109, 119 व 106 मे कब्जा मुताबिक नक्शा न दिखाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थी यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है, स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है । वादग्रस्त रकबा प्रार्थी व मिन अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि जो कि पिता श्री हेमराज के देहान्त के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 को विरासतन होद हुई की हद तक स्वीकार है। वादग्रस्त रकबा सूरतगढ़ जाखड़ावाली लिंक रोड पर स्थित है। ग्राम मानकथेडी बारानी के सूरतगढ़ जाखड़ावाली लिंक रोड दक्षिणी दिशा मे खसरा सं. 294/109 व खसरा सं. 312/199 स्थित है। प्रार्थी को घरू बंटवारा मे खसरा सं. 109 की 1.113 हैक. व खसरा सं. 312/119 की 1.012 हैक. कुल 2.125 हैक. कृषि भूमि सूरतगढ़ जाखड़ावाली लिंक रोड पर अर्थात सूरतगढ़– जाखड़ावाली लिंक रोड पर 730 फुट पूर्व से पश्चिम लम्बी, दक्षिण दिशा मे 732 फुट, पूर्व मे 326 फुट, पश्चिम मे 300 फुट प्राप्त हुई और मिन अप्रार्थी को खसरा सं. 106 की कुल 2.934 हैक. कृषि भूमि प्राप्त हुई।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। प्रार्थी का कब्जा ग्राम मानकथेडी बारानी के खसरा सं. 109 की 1.113 हैक. व खसरा सं. 312/119 की 1.012 हैक. कुल 2.125 हैक. कृषि भूमि सूरतगढ़ जाखड़ावाली लिंक रोड पर अर्थात सूरतगढ़– जाखड़ावाली लिंक रोड पर 730 फुट पूर्व से पश्चिम लम्बी, दक्षिण दिशा मे 732 फुट, पूर्व मे 326 फुट, पश्चिम मे 300 फुट पर है और प्रार्थी ने अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि सिंचाई हेतु पाईप लाईनलाई हुई है और प्रार्थी के कब्जा काश्त में एक झोपडी पश्चिमी दिशा में बनी हुई है और वर्तमान मे प्रार्थी ने नरमा व ग्वार की फसल काश्त कर रखी है और मिन अप्रार्थी का कब्जा खसरा सं. 106 की 2.934 हैक् कृषि भूमि पर है। चूंकि प्रार्थी के मन में अब बदनियति आ गई क्योंकि खसरा सं. 119 की 1.012 हैक. पु.आ. कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज है जो कि खातेदार दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी मिन अप्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे जबरन काबिज होना चाहता है। प्रार्थी ने अपने हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि को समतल करके कृषि योग्य बनाया है और मिन अप्रार्थी ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को समतल करके कृषि योग्य बनाया है जो कि मिन अप्रार्थी की भी भूमि सूरतगढ़–जाखड़ावाली लिंक रोड़ पर स्थित है और अब प्रार्थी मिन अप्रार्थी के कब्जा काश्त मे जबरन काबिज होकर अपरिमय क्षति पहुंचाना चाहता है। जैसा की रकबा की तरमीम विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है [illegible] व अन्य भू माफिया व्यक्ति अप्रार्थी के खसरा सं. 106 की कृषि भूमि मे काबिज [illegible] कब्जा दिखाने की फिराक मे है। यह सत्य है कि पटवारी [illegible] द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे से प्रार्थी को बेघर करने के उद्देश्य से बिना किसी निशानदेही दिये अन्य व्यक्तियों को काबिज करवाना चाहते है जिसमे मिन अप्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नही है। प्रार्थी के कब्जा काश्त मे खसरा सं. 109 व खसरा सं. 119 की कुल 2.125 हैक्ट कृषि भूमि पर जिस पर प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 106 की 2.934 हैक. किसी किस्म से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी नही है। प्रार्थी के हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा पारित की जाती है तो प्रार्थी को कोई उजर व एतराज नही है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर निस्तारण वाद एवं प्रतिवाद पत्र पारीत की जावे तो मिन अप्रार्थी को कोई उजर व एतराज नही है ।

अप्रार्थी संख्या 2–4 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता हाजिर है। जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से है–प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित उक्त शीर्षक का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन यह वादपत्र कतई गलत व विधि विरूद्ध आधारों पर प्रस्तुत होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित यह तथ्य मात्र स्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खाता की कृषि भूमि मानकथेड़ी बारानी के खाता संख्या 155 में खसरा नंबर 106 में 2.934 हैक्टेयर व खसरा नंबर 294/109 में 1.113 हैक्टेयर कुल 4.047 हैक्टेयर खातेदारी व खसरा नंबर 312/119 की 1.012 हैक्टेयर पुख्ता आवंटन मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है ।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–3 जिसे सहबन चरण संख्या 4 अंकित किया गया है, में वर्णित तथ्य मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है लेकिन यह तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य कथित कोई घरू बंटवारा हुआ हो और कि ऐसे किसी घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी को मानकथेड़ी बारानी के खसरा नंबर 294/109 की 1.113 हैक्टेयर व खसरा नंबर 106 की 2.934 हैक्टेयर में से 0.910 हैक्टेयर कुल 2.023 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई हो। खसरा नंबर 294/109 सूरतगढ़, जाखड़ावाली लिंक रोड़ के पश्चिम दिशा में स्थित होना स्वीकार है तथा इस खसरा के पूर्वी दिशा में खसरा नंबर 312/119 होना स्वीकार है।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–4 जिसे सहबन चरण संख्या 5 अंकित किया गया है, में वर्णित यह तथ्य मात्र स्वीकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 की खसरा नंबर 109 में 1.808 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है लेकिन यह कथन झूठ है कि अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त में खसरा नंबर 109 की 1.808 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि के पिछे की तरफ स्थित हो। प्रार्थी ने जानबूझकर मिथ्या कथन किए है बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि खसरा नंबर 109 में प्रार्थी की भूमि के सामान्तर पश्चिमी तरफ स्थित है।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–5 जिसे सहबन चरण सख्या 6 अंकित किया गया है, जिस तरह से अंकित किए गए है, अस्वीकार है। यह तथ्य स्वीकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 109 में 1.113 हैक्टेयर व खसरा नंबर 106 में 0.910 हैक्टेयर कुल 2.023 हैक्टेयर है तथा उसके कब्जा काश्त में है, लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के प्रति लालची प्रवृति होने व अप्रार्थी संख्या 1 के बहकावे में होकर प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में जबरन काबिज होने के मिथ्या आक्षेप लगाये है। वस्तुतः प्रार्थी की खसरा नंबर 109 की 1.113 हैक्टेयर के चिपते पश्चिमी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 की इसी खसरा नंबर 109 में 1.808 हैक्टेयर भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त में रही है उक्त भूमि होने के बाद अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त 1.808 हैक्टेयर भूमि में से श्री सुमित कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र को पश्चिमी तरफ 0.603 हैक्टेयर भूमि विक्रय की है तथा यह भूमि विक्रय करने के बाद अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त में 1.205 हैक्टेयर शेष रही है जो अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 परस्पर सगे भाई है तथा आपस में मिलीभगत की हुई है व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 मुझ अप्रार्थी संख्या 2 की 1.808 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान में 1.205 हैक्टेयर है, पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जबरन कब्जा करने के आशय से यह मिथ्या वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का यह कथन कतई झूठ है कि खसरा नंबर 109 की तरमीम विधि विरूद्ध हुई हो। वस्तुतः राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप 6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.11.2022 के अनुसरण में गांव मानकथेड़ी में राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व विभाग ने खसरा नंरब 109 की तरमीम की है तथा इस तरमीम के अनुसार नवीन खसरे 294/109 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के बने है व खसरा नंबर 532/109 मुझ अप्रार्थी संख्या 2 का व खसरा नंबर 531/109 मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के केता श्री सुमित कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र का बना है। प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा, नक्शा व जमाबंदी संलग्न जबाव दावा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी खातेदारी भूमि के अलावा 1 इंच भूमि पर काबिज नहीं है तथा वह प्रार्थी अथवा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर काबिज नहीं है। वस्तुतः प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आपस में मिले हुए है तथा मुझ अप्रार्थी संख्या 2 की खसरा नंबर 109 की 1.808 हैक्टेयर में से बाद बेचान शेष रही 1.205 हैक्टेयर भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा इसी आशय से यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

इस्तदुआ प्रार्थी से इन्कारी है। प्रार्थी याचित अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज होने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

यह कि अप्रार्थी संख्या 2 खसरा नंबर 109 की 1.808 हैक्टेयर भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज चला आया है तथा यह भूमि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 के पिता श्री ताराचंद को टी. सी. पर आंवटित थी तथा यह टी.सी. गलत रूप से खारिज कर दी गई जिस पर न्यायालय अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2013 द्वारा उक्त खसरा नंबर 109 सहित शेष खसरा नंबर 70 व 71 व 128 की कुल 25 बीघा 1 बिस्वा भूमि के अस्थाई पट्टा का नवीनीकरण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किए जाने का आदेश पारित किया तथा तत्पश्चात माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 21.02.2014 के जरिए उक्त भूमि पुख्ता आवंटित की तथा इस आवंटन के आदेश के अन्तर्गत खसरा नंबर 109 की 1.808 है० भूमि भी शामिल है। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त आंवटित भूमि की सनद खातेदारी मिलने के बाद खसरा नंबर 109 की 1.808 है0 भूमि में से 0.603 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ने विक्रय कर दी तथा वर्तमान में यह भूमि श्री सुमित कुमार पुत्र श्री जगदीशचन्द्र के नाम दर्ज है व उसके कब्जा काश्त में है। इस प्रकार खसरा नंबर 109 में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 1.113 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 2, 1.205 हैक्टेयर व सुमित कुमार 0.603 हैक्टेयर के खातेदार बने है। इसी हिस्साकसी के अनुसार व मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार उक्त खसरा नंबर 109 की तरमीम हुई है व इस तरमीम के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का नया खसरा 294/109 तादादी 1.113 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 का नया खसरा 532 / 109 तादादी 1.205 हैक्टेयर व सुमित कुमार का नया खसरा 531/109 तादादी 0.603 हैक्टेयर बना है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 2 व सुमित कुमार काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि पर तारबंदी की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी को उक्त तरमीम को इस वादपत्र में चुनौती देने का अधिकार नहीं हैं प्रार्थी का वादपत्र मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र में वह एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पत्रावली में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 582 दिनांक 31.07.25 से प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार ग्राम मानकथेडी बारानी के मूल खसरा नम्बर 109 के मुताबिक जंमाबदी रिकोर्ड के 3 भाग है। (1) दिनेशकुमार करणसिंह पि.हेमराज जाति जाट सा. मानकथेडी खातेदार खाता संख्या 28 खसरा नम्बर 294/109 रकबा 1.113 है.(2) सुमितकुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट सा.हनुमानगढ़ जं. खातेदार खाता संख्या 107 खसरा नम्बर 531/109 रकबा 0.603 है. (3) गुलाबचन्द पुत्र ताराचन्द जाति अग्रवाल सा. पीलीबंगा खातेदार खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 532/109 रकबा 1.205 है. मौके पर खसरा नम्बर 109 की भौतिक स्थिती तीनो भाग ऑनलाईन नक्शे से भिन्न है। उक्त खसरे की मौके पर जाकर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष जांच की दिनेशकुमार करणसिंह पि.हेमराज जाति जाट सा. मानकथेडी की काश्त उतर दिशा में सूरतगढ़ रावतसर सड़क पर है। मौतबिरान ने बताया की प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि के दक्षिण भाग में उक्त खसरे की शेष बचती भूमि अप्रार्थीगण की बतायी है। रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किये गए है जिसमें ऑनलाईन नक्शा एवं मौका स्थिति में नक्शों में भिन्नता है जिसका पटवार हल्का द्वारा फर्द मौका तैयार किया गया है जो शामिल पत्रावली है। फर्द मौका अनुसार खसरासंख्या 109 के तीन भाग है। भौतिक स्थिति तीनों भागों की ऑनलाईन नक्शे से भिन्न है।

प्रकरण में अधिवकता उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि का सीमा ज्ञान भू प्रबंधन विभाग से करवाया जावे। सिमांकन से पर्वू मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जाये बहस में कथन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण को रिकार्डिड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इस लिए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवदेन किया गया। बहस पर मनन किया गया अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। चुंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद सिमांकन एवं तरमीम के संबंध में है एवं उक्त तथ्य तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होतें है क्योंकि तसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 109 के मुताबिक जंमाबदी रिकोर्ड के 3 भाग है। (1) दिनेशकुमार करणसिंह पि.हेमराज जाति जाट सा. मानकथेडी खातेदार खाता संख्या 28 खसरा नम्बर 294/109 रकबा 1.113 है.(2) सुमितकुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट सा.हनुमानगढ़ जं. खातेदार खाता संख्या 107 खसरा नम्बर 531/109 रकबा 0.603 है. (3) गुलाबचन्द पुत्र ताराचन्द जाति अग्रवाल सा. पीलीबंगा खातेदार खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 532/109 रकबा 1.205 है. मौके पर खसरा नम्बर 109 की भौतिक स्थिती तीनो भाग ऑनलाईन नक्शे से भिन्न है। उक्त खसरे की मौके पर जाकर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष जांच की दिनेशकुमार करणसिंह पि.हेमराज जाति जाट सा. मानकथेडी की काश्त उतर दिशा में सूरतगढ़ रावतसर सड़क पर है। मौतबिरान ने बताया की प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि के दक्षिण भाग में उक्त खसरे की शेष बचती भूमि अप्रार्थीगण की है। ऑनलाईन रिकार्ड एवं मौका स्थिति में नक्शों में भिन्नता होने के कारण विवाद है जो कि बाद सिमांकन निस्तारण होना है पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 3 वर्ष से लम्बित है। उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है। अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला कनफर्म करना उभय पक्ष के मध्य विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप स्थगन ग्राम मानकथेडी बारानी के खसरा सं. 109 में प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रस्तावित रकबा पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाकर ता दावा फैसला अस्थायी निषेधाज्ञा कनफर्म की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।
आदेश दिनांक 16/10/25 सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा